REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2026

अकबर की धार्मिक नीति एवं सांस्कृतिक समन्वयः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. उमेश चन्द्र यादव
सहायक आचार्य–इतिहास, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी.

सारांश

मुगल सम्राट अकबर भारतीय इतिहास के महान शासकों में से एक था, जिसने न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक नई दिशा प्रदान की। उसने समय की नब्ज का पकड़ा और समायोजन कर भावी नीतियों को अंजाम दिया। अकबर की धार्मिक नीति सहिष्णुता, उदारता और सर्वधर्म समभाव पर आधारित थी। उसने हिंदू–मुस्लिम एकता को सुदृढ़ किया तथा सुलह–ए–कुल की नीति को अपनाया। इस नीति के माध्यम से अकबर ने धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर भारतीय संस्कृति को एक नई एकात्मकता और समन्वय प्रदान किया। वह एक ऐसा माहौल बनाने में सक्षम रहा, जिसमें मुस्लिम होने के बावजूद हिंदुओं एवं हिंदू शासको की पूजा पद्धति रहन–सहन, रीति– रिवाज व संस्कार पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बल्कि हिंदू–मुस्लिम दोनों वर्गों की भाषाओं, आस्थाओं परंपराओं, लोक परंपराओं और जीवन शैली को एक साझी विरासत का जामा पहनाया। प्रस्तुत शोध पत्र में अकबर की धार्मिक नीति, उसके विकास, उद्देश्यों, प्रभावों तथा सांस्कृतिक समन्वय का विश्लेषणात्मक पक्षों का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्दः धार्मिक नीति, इबादतखाना, सुलह–ए–कुल, महजर, सांस्कृतिक समन्वय, दीन–ए– इलाही, सहिष्णुता.

प्रस्तावना

भारत की सांस्कृतिक प्रगति की यात्रा प्राचीन काल से आरंभ होकर मध्यकाल में फालती–फूलती हुई आधुनिक समय में अपनी समृद्धि की ओर अग्रसर है। मध्यकालीन शासको विशेष रूप से अकबर का इस दिशा में योगदान को अप्रतिम रहा है। मुगल काल धार्मिक नीति की दृष्टि से अन्वेषण का युग सिद्ध हुआ और अकबर ने इसे एक नया आयाम दिया। अकबर ने अपने पूर्वगामी और पश्चगामी शासको की नीति से भिन्न अपनी समस्त प्रजा के प्रति उदार एवं योजनाबद्ध धार्मिक नीति अपनाई। उसका प्रयास भारत की राजनीतिक एकता के साथ–साथ सांस्कृतिक समन्वय का भी रहा।

अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का आधार गहन चिंतन था। उसने सल्तनत काल में राजवंशों के अनवरत होने वाले परिवर्तनों के कारण तत्कालीन सुल्तानों के धार्मिक संकीर्णता को अनुभव किया था। वह जानता था कि कठोर नीति का पालन करके भारत में स्थाई मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न संभव नहीं है। अतः उसने उदार नीति का अवलंबन किया और भेदभाव एवं पक्षपात की नीति का परित्याग करके दोनों जातियों में फैले विद्वेश को कम करने में योगदान दिया। उसकी धार्मिक नीति सुलह –ए–कुल के सिद्धांत पर आधारित थी। अकबर का भारतीय जीवन से संपर्क पंजाब से आरंभ हुआ। जहां गुरु नानक जैसे धर्म प्रचारक हिंदू और इस्लाम धर्म की एकता में विश्वास करना सीखा रहे थे। भक्ति आंदोलन के अन्य विभिन्न धर्म प्रचारक

भी सभी जातियों और धर्म की सामानता, धार्मिक सहिष्णुता और ईश्वर प्रेम का प्रचार कर रहे थे। जिसका सकारात्मक प्रभाव अकबर पड़ा। अकबर का पालन पोषण और शिक्षा उदार वातावरण में हुई। अकबर की धार्मिक नीति के विकास में उसके पूर्वजों एवं शिक्षकों का गहरा प्रभाव था। इन सब के कारण अकबर के हृदय में धार्मिक कट्टरता को विकसित होने का अवसर नहीं मिला। इतना ही नहीं बाल्यकाल से ही अकबर शेखों, फकीरों तथा साधुओं से मिला करता था। वह सूफीवाद की उदारता से बहुत प्रभावित था विशेष रूप से चिश्तिया संप्रदाय से। सूफी विद्वान शेख मुबारक तथा उसके पुत्रों अबुल फजल एवं फैजी ने अकबर की उदार मनोवृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

समकालीन इतिहासकार अबुल फजल लिखता है कि, "बादशाह जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने धार्मिक प्रश्नों पर विचार करना आरंभ किया" उसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर एवं सत्य के संबंध में जानने की उत्सुकता थी। अतएव अकबर धार्मिक रूढ़िवाद से पारे था। आगे चलकर अकबर का संपर्क हिंदू धर्म के साथ भी घनिष्ठ रूप से हुआ। उसने राजपूत राजघरानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कालांतर में उसका संपर्क जैनों, ईसाइयों एवं पारसियों के साथ भी हुआ। जो उसके द्वारा मुगल दरबार में आमंत्रित किए गए। उसने सिख गुरु से संबंध रखें। इन विभिन्न विचारधाराओं ने अकबर को सभी धर्म के प्रति सदभाव और साहिष्णुता की नीति अपनाने को प्रेरित किया और उसके उल्लेखनीय परिणाम निकले।

संपूर्ण संसार में 16वीं सदी धार्मिक पुनरुत्थान के सदी के रूप में स्वीकार की गई। भारत में भी हमें यह विशेषताएं प्राप्त होती हैं। यहां भी प्रेम और उदारता की भावना के विकास को अनुभव किया जाने लगा। प्रेम ने मनुष्य को ईश्वर और मनुष्य से मिलाया तथा उदारता ने जाति, संप्रदाय और व्यवसायों के अंतर को समाप्त किया तथा मानव भ्रातृत्व की भावना का तीव्र संचार हुआ । इसने अपने महान आदर्शों से हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से प्रेरणा दी और वे कुछ समय के लिए अपने धर्म की व्यर्थ बातों को भूल गए। अपने युग का प्रभाव अकबर पर भी पड़ा। अकबर आरम्भ से ही अत्यधिक उदार और मानवी गुणों से युक्त था और उसने अपनी युवावस्था में अत्यधिक ज्ञान की आवश्यकता को समझा था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और धर्म की सत्यता को जानने के लिए वह जिज्ञासु भी था। बदायूंनी ने लिखा था, "बादशाह कभी–कभी संपूर्ण रात खुदा को याद करते हुए व्यतीत कर दिया करता था।" धर्म में निहित सच्चाई को जानने के लिए ही उसने इबादत खाना बनाया, सभी धर्मों के विद्वानों को वहां निमंत्रण दिया और व्यक्तिगत रूप से इसाई ,जैन, पारसी और हिंदू विद्वानों के संपर्क में आया। इस प्रकार सभी धर्मों के संपर्क में आकर अकबर को यह विश्वास हो गया कि सभी धर्म में सत्य है ।

अपने शासन के प्रारंभिक काल में विभिन्न मुसलमान सरदारों द्वारा किए गए विद्रोहों ने उसे सोचने पर बाध्य किया कि वफादारी के लिए किन पर निर्भर रह सकता है। ऐसे समय में अकबर का ध्यान राजपूतों की तरफ आकृष्ट हुआ। वह उनके शौर्य, दृढ़ता और वफादारी की भावना से प्रभावित हुआ। वह उन्हें अपना मित्र एवं राज्य की शक्ति का आधार बनाने का प्रयत्न किया। ऐसे स्थिति में उसके उनके धर्म का सम्मान करना अकबर के लिए स्वाभाविक था और उसकी उदार प्रवृत्ति इसके अनुकूल थी। इस प्रकार अपने बहुसंख्यक हिंदू प्रजा और उसके युद्ध प्रिया राजपूत वर्ग को की सहानुभूति और वफादारी प्राप्त करके तथा उसके माध्यम से शासक वर्ग में संतुलन बनाकर एक दृढ़ राज्य की स्थापना करने की इच्छा ने भी अकबर को उदार धार्मिक नीति के निर्माण को प्रेरित किया।

अध्ययन की प्रासंगिकता

अकबर के काल में जिस तरह की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में स्थाई मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न तब तक संभव नहीं था, जब तक पक्षपात एवं भेदभाव की नीति को त्याग कर दोनों जातियों में फैले विद्वेश को कम न किया जाय। इसी प्रकार वर्तमान लोकतंत्र की सफलता भी सहिष्णुता पर निर्भर है ना की कट्टरता पर। शोध पत्र की प्रासंगिकता यही स्पष्ट करना है कि धार्मिक उदारता और सहिष्णुता भारतीय लोकतंत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

अकबर की धार्मिक नीति का विकास

अकबर की धार्मिक नीति का विकास क्रमिक रूप से हुआ। प्रारम्भ मे इसके शासन पर निरंतर कट्टरपंथी वर्ग का प्रभाव बना रहा। परंतु धीरे–धीरे उसने धार्मिक सहिष्णुता सर्वधर्म समभाव और सांस्कृतिक समन्वय की

ओर प्रयाण किया । धार्मिक नीति का यह विकास विभिन्न चरणों से होकर गुजरा। अकबर ने अल्पायु में शासन संभाला इसलिए उसके शासन का दायित्व बैरम खान पर था और उस पर मुस्लिम उलेमाओं का प्रभाव था। परंतु जैसे–जैसे अकबर का अनुभव बढ़ता गया वैसे–वैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। तब उसे आध्यात्मिक चिंतन द्वारा यह ज्ञात हुआ कि धर्म एवं जाति का भेदभाव किए बिना प्रजा का कल्याण ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। अतः उसने धार्मिक सहिष्णुता और समानता की दिशा में ठोस कदम उठाए। 1562 ईस्वी में युद्धबन्दियों को दास बनाने तथा बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार कराने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके पश्चात 1563 ईस्वी में हिंदुओं से वसूले जाने वाले तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया। मार्च 1564 ईस्वी में उसने सभी गैर मुसलमानों को जजिया कर से भी मुक्त कर दिया और उन्हें अपनी पूजागृह के निर्माण की भी छूट प्रदान की।

अपनी धार्मिक सिद्धांतों के विकास के द्वितीय चरण में अकबर धर्म के वाह्य पक्ष को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने इस्लाम धर्म के दर्शन को समझने का प्रयास किया किंतु उसे निराशा हाथ लगी। फालतः बादशाह ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श हेतु 1575 ई. में फतेहपुर सीकरी में एक "इबादत खानाश" का निर्माण कराया। इबादतखाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद ,शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। किंतु शीघ्र ही वह धर्माचार्यों की असहिष्णुता से परिचित होने लगा एवं उनकी अशिष्टता से उनके प्रति बादशाह की श्रद्धा कम होने लगी। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादतखाना का द्वार खोल दिया। अबुल फजल लिखता है कि, "अकबर का उद्देश्य यह था कि वह प्रशासन की तरह विज्ञान तथा नीति के मंत्रियों की पवित्रता का, साधना के भक्तों की भी परीक्षा होनी चाहि। धर्म तथा संप्रदायों के सिद्धांतों की परीक्षा होनी चाहिए। फलस्वरूप अब हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी आदि धर्मों के विद्वान भी इबादतखाना की चर्चाओं में भाग लेने लगे।" अकबर इससे बहुत प्रभावित हुआ। अब अकबर अनेक धर्म के बारे में पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर चुका था। उसने अनुभव किया कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ गुण विद्यमान है तथा सभी का लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचना है। अबुल फजल लिखता है कि, "अकबर को यह विश्वास होने लगा कि सभी धर्मों के समझदार एवं स्वतंत्र विचारक होते हैं जब सत्य सभी धर्मों में है तो यह समझना भूल है कि सच्चाई केवल इस्लाम धर्म तक सीमित है। धार्मिक वाद–विवाद के कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान के आधार पर अकबर ने एक धार्मिक घोषणा पत्र अथवा "महजर" जारी किया। जिसके अनुसार अकबर को धार्मिक प्रश्नों पर भी अपने मत व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ अर्थात् उलेमा के मतभेदों की दशा में अकबर को इमाम–ए–आदिल (प्रधान व्याख्याकार)के रूप में स्वीकार किया गया। वस्तुतः अकबर महजर द्वारा न केवल असाधारण अधिकार प्राप्त किया क्योंकि वह जान चुका था कि उधर धार्मिक नीति का सबसे प्रबल विरोध उलेमा वर्ग द्वारा ही हो सकता है। इसी का परिणाम रहा की 1579 से 1581 ई. के बीच अकबर को उलेमा द्वारा प्रायोजित अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। किंतु अकबर ने धैर्य पूर्वक इसका सामना कर उलेमा वर्ग की शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया। जिससे अकबर के लिए धार्मिक नीति के क्षेत्र में एक अन्य प्रयोगों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

इस काल में अकबर के धार्मिक विचारों में जो परिवर्तन आए उनमें शेख मुबारक एवं उनके पुत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अबुल फजल ने अकबर के समक्ष राजत्व के कुछ नए विचार रखा। वह राजत्व को दैवी प्रकाश के रूप में प्रस्तुत कर तर्क देता है कि, सम्राट को ईश्वर के गुणों का प्रतिबिंब होना चाहिए। जिस प्रकार ईश्वर अपने द्वारा रचित वंदों के बीच भेदभाव नहीं करता और सारे मनुष्य ईश्वर के समक्ष समान है। उसी प्रकार सम्राट को भी समस्त प्रजा के प्रति एक समान और सहिष्णुतापूर्ण नीति का अपनाना चाहिए। इसी से प्रभावित होकर अकबर ने धर्म के क्षेत्र में सुलह–ए–कुल की नीति का अनुसरण कर अपनी धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता का परिचय दिया। सुलह–ए–कुल का उद्देश्य सार्वलौकिक शांति था अर्थात् सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना था ताकि साम्राज्य में पूर्ण शांति का वातावरण बना रहे। इतना ही नहीं अकबर ने विभिन्न धर्मावलंबियों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने तथा भारत को एक राष्ट्र का रूप देने के उद्देश्य से 1588 ई. में अंतिम प्रयोग के रूप में दीन –ए– इलाही या तौहिद–ए– इलाही की स्थापना की। वस्तुतः दीन–ए–इलाही एक ऐसी आचार संहिता थी जिसमें सभी धर्म के मूल सिद्धांतों का संकलन था। अकबर द्वारा इसे प्रचारित करने का उद्देश्य केवल इतना था कि सभी धर्मों के अनुयायियों में एकता और सामंजस्य की स्थापना की जा सके, क्योंकि राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में प्रगति तभी संभव थी। प्रोफेसर एस0 आर0 शर्मा का कथन है कि, "दीन–ए–इलाही बादशाह के राष्ट्रीय आदर्शवाद का ज्वलंत उदाहरण है। परिणामतः अकबर दीन–ए–इलाही के माध्यम से प्रबुद्ध एवं उदारवादी भारतीयों को भ्रातृत्व के सूत्र में बांधना चाहता था, क्योंकि यह विचार अपने समय में आगे था और इस पर सामान्य जनता का विश्वास नहीं था । इसलिए यह लोकप्रिय नहीं हो सका फिर

भी इसमें अकबर की उदार धार्मिक सोच का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। उसने विभिन्न धर्मो के बीच सौहार्द्रता लाने का एक अत्यंत सराहनीय प्रयास किया और उसकी धार्मिक नीति के रचनात्मक परिणाम निकले। इस प्रकार अकबर की धार्मिक नीति एक सतत प्रक्रिया थी जो रूढ़िवाद से उदारवाद, धार्मिक भेदभाव से सहिष्णुता और अंततः सांस्कृतिक समन्वय में के रूप में दिखाई पड़ती है।

सांस्कृतिक समन्वय

अकबर अन्य भारतीय और इस्लामी संस्कृतियों के बीच समन्वय की कोशिश की। एक ओर भारत की अपनी सांस्कृतिक परंपरा थी और उसकी विशेषताएं तो दूसरी ओर एक नई सांस्कृतिक परंपरा थी, जिसमें इस्लामी एवं ईरानी विशेषताएं मिली हुई थी। इन दोनों का ही अद्भुत समावेश अकबर के शासनकाल में हुआ। इसका प्रभाव सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष रूप से स्थापत्य, कला, संगीत एवं चित्रकला पर पड़ा। साहित्य के क्षेत्र में अकबर ने भारतीय रचनाओं का फारसी में अनुवाद करवाया ताकि भारत की समृद्ध साहित्यिक परंपरा से विदेशी मुसलमान भी परिचित हो सके। अकबर के काल में स्थापत्य कला में हिंदू–मुस्लिम शैलियों का अद्भुत समन्वय में दिखाई देता है। इस समन्वित शैली का सबसे सुंदर उदाहरण फतेहपुर सिकरी स्थित भावनाों में पाया जाता है। जहां अकबर ने भारत की विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों की मुख्य विशेषताओं को मुगल शैली में समाहित किया इसके अतिरिक्त आगरा के का किला और लाहौर का किला भी इस सांस्कृतिक समामिलन का उत्कृष्ट उदाहरण है।

अकबर के काल में चित्रकला के क्षेत्र में भी ईरानी और भारतीय शैलियों का समावेश हुआ । जबकि दोनों शैलियों में परस्पर भिन्नता थी। अकबर ने ईरानी परंपरा के विषयों को चुना किंतु प्रस्तुतीकरण की शैली पूर्णतः भारतीय है। वस्तुतः अकबर के काल में एक ऐसी चित्रकला का विकास हुआ जिसकी आत्मा ईरानी थी और शरीर भारतीय था। संगीत के क्षेत्र में भी अकबर के दरबार में ईरानी और भारतीय परंपरा का समावेश हुआ। यद्यपि दोनों शैलियों का संपर्क और परस्पर प्रभाव सूफी संतों तक ही सीमित था। अकबर ने संगीत को दरबारी शिष्टाचार का अंग बनाया और दरबारी संगीतज्ञ की नियुक्ति की उसके दरबार में सबसे विख्यात संगीतज्ञ तानसेन थे। वास्तव में देखा जाए तो अमीर खुसरो द्वारा ईरानी और भारतीय संगीत के समन्वय का जो प्रयास हुआ था वह तानसेन के साथ पूरा हुआ और नई राग–रागिनी प्रचलित हुई। जो ना तो पूर्णतया ईरानी थी और न ही पूर्णतया भारतीय। साहित्य के क्षेत्र में अकबर के शासनकाल का विशेष महत्व है, अकबर ने संस्कृ त और अन्य भाषा से फारसी में अनुवादित ग्रथों को तैयार करवाया। भगवत गीता, रामायण और योगवशिष्ठ के अनुवाद उसकी सांस्कृतिक समन्वय की नीति का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा एवं साहित्य के दृष्टि से भी अकबर का शासन काल उल्लेखनीय रहा। अकबर के शासन काल की उदार परंपराओं ने हिंदी भाषा के विकास का उपयुक्त वातावरण बनाया। इस प्रकार अकबर ने अपनी नीति के माध्यम से भारतीय समाज में गहन संस्कृतिक समन्वय स्थापित किया। उसकी नीतियों ने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के मध्य पुल का कार्य किया जिससे अकबर भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र विविधता में एकता को स्थापित करने में सफल रहा।

अकबर की धार्मिक नीति और सांस्कृतिक संमन्वय का प्रभाव

1. राजनीतिक एकता की स्थापना– धार्मिक सहिष्णुता से साम्राज्य की नींव मजबूत हुई और विभिन्न समुदाय में सहयोग की भावना विकसित हुई।
2. सांस्कृतिक समृद्धि– कला, साहित्य, स्थापत्य और संगीत में नवाचार हुआ। जिससे भारतीय संस्कृति और भी समृद्ध हुई।
3. धर्मनिरपेक्षता का विकास– अकबर की नीति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया जो आधुनिक भारत की नींव बनी।
4. सामाजिक सुधारो का प्रोत्साहन– अकबर की नीतियों ने समाज में समानता और नैतिक मूल्यों को स्थापित किया।
5. भारतीयता की भावना– विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का समन्वय भारतीयता की भावना को सशक्त बनाया।

अकबर की धार्मिक नीति का मूल आधार उदारता, सहिष्णुता, बहुधर्मी संवाद, सांस्कृतिक समन्वय और धार्मिक सामानता था। जिसने भारत में धार्मिक सौहार्द और मुगल साम्राज्य की स्थिरता को सुदृढ़ किया।

आलोचनात्मक विश्लेषण

मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति को समानता सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक माना जाता है। यह नीति केवल आध्यात्मिक या नैतिक आग्रह तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें राजनीतिक विवेक और साम्राज्य विस्तार की रणनीति भी निहित थी। सुलह–ए–कुल की नीति के माध्यम से अकबर ने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संतुलन स्थापित किया। जिससे मुगल सत्ता को सामाजिक समर्थन प्राप्त हुआ। किंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि धार्मिक सहिष्णुता की यह नीति शासक वर्ग को संतुष्ट रखने और संभावित विद्रोह को रोकने का साधन मात्र थी। इबादतखाना की स्थापना की गई परंतु वहां होने वाले धार्मिक वाद–विवाद कई बार कटुता में बदल जाते थे। जिससे धार्मिक संबंधों के स्थान पर वैचारिक संघर्ष भी उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार दीन–ए–इलाही को एक समन्वित संहिता के रूप में प्रस्तुत किया गया। किन्तु इसे व्यापक जन समर्थन नहीं मिला और यह दरबारी वर्ग तक सीमित रहा। यह तथ्य दर्शाता है कि अकबर का समन्वयवादी प्रयोग सामाजिक स्तर पर अधिक प्रभावित नहीं हो सका राजपूतों से वैवाहिक संबंध और हिंदू सरदारों की नियुक्ति को सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक माना जाता है। किंतु आलोचक इसे राजनीतिक गठजोड़ के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश्य सत्ता को सुदृढ़ करना था। इसलिए यह कहना उचित प्रतीत होता है, कि अकबर की धार्मिक नीति आदर्शवादी कम और व्यावहारिक अधिक थी। यद्यपि उस समय के कट्टर धार्मिक वातावरण में अकबर की उदार दृष्टि एक प्रगतिशील पहल थी। उसने धार्मिक सहिष्णुता, विचार स्वतंत्रता और सांस्कृतिक समरसता के बीज बोए। जो आगे चलकर भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण आधार बना। अकबर की धार्मिक नीति को पूर्णतः आदर्शवादी या पूर्णतः राजनीतिक कहना एकांगी दृष्टिकोण होगा वास्तव में यह आदर्श और व्यवहार की संतुलित परिघटना थी।

निष्कर्ष

अकबर की धार्मिक नीति और सांस्कृतिक समन्वय भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने मध्यकालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को नई दिशा प्रदान की। अकबर ने यह सिद्ध किया कि बहु–सांस्कृतिक समाज में स्थायी शांति और स्थिरता केवल सहिष्णुता से नहीं, बल्कि सक्रिय, रचनात्मक और उदार सांस्कृतिक समन्वय से संभव है। उसकी नीतियाँ किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेरित नहीं थीं, बल्कि विभिन्न परंपराओं के श्रेष्ठ सिद्धांतों को आत्मसात कर मानवता के सार्वभौमिक मूल्यों को मजबूत बनाती थीं। अकबर की धार्मिक नीति का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह था कि उसने शासन को धार्मिक पूर्वाग्रहों और कट्टरता से मुक्त करने का प्रयास किया। 'सुलह–ए–कुल' की नीति ने शासन व्यवस्था को सर्वसमावेशी बनाया तथा सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार की गारंटी दी। जजिया और तीर्थ–कर जैसे करों की समाप्ति ने अकबर की धर्मनिरपेक्ष और न्यायसंगत शासन व्यवस्था की दृष्टि को स्पष्ट किया।

सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर भी अकबर की नीतियाँ उल्लेखनीय रहीं। फतेहपुर सीकरी स्थित इबादतखाना में विभिन्न धर्मों और दार्शनिक परंपराओं के विद्वानों के बीच जो संवाद श्रृंखला प्रारंभ हुई, उसने विचारों के आदान–प्रदान और पारस्परिक समझ को नई ऊँचाई दी। इसी प्रक्रिया से 'दीन–ए–इलाही' जैसा समन्वयवादी धर्म–दर्शन विकसित हुआ, जो यद्यपि सीमित रहा, फिर भी अकबर की उदार और मानवतावादी दृष्टि का प्रतीक था। सांस्कृतिक स्तर पर अकबर ने स्थापत्य, कला, संगीत और प्रशासन में हिंदू–मुस्लिम परंपराओं का संतुलित समागम पैदा किया। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। योग्यता के आधार पर हिंदू अधिकारियों को उच्च पद देकर उसने सामाजिक एकता और राजनीतिक स्थिरता को सुदृढ़ किया। वस्तुतः अकबर एक सफल शासक के साथ–साथ दूरदर्शी विचारक और सांस्कृतिक समन्वयक था। उसकी नीतियों ने न केवल मध्यकालीन भारत में धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा दिया, बल्कि आधुनिक भारत की धर्मनिरपेक्ष एवं बहुलतावादी पहचान की नींव भी मजबूत की।

संदर्भ सूची

1. अहमद इम्तयाज, (2015) मध्यकालीन भारत (आठवीं से 18वीं शताब्दी) एक सर्वेक्षण, नेशनल पब्लिकेशन पटना।
2. अहमद लईक (2002) मुगलकालीन भारत प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

3. चंद्र सतीश (2020) मध्यकालीन भारत का इतिहास, ओरिएंट ब्लैक श्वान, नई दिल्ली।
4. शर्मा आर०एस० (2019) भारतीय इतिहास की रूपरेखा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. शर्मा एल0 पी० (2002) मध्यकालीन भारत, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
6. श्रीवास्तव अशोक (2001) मध्यकालीन भारत (1526 से 1740 ई) पूर्वांचल प्रकाशन बक्शीपुर गोरखपुर।